CIRCULAR

No: PFRDA/2023/14/SUP-ASP /03 **27th July, 2023**

To,

All NPS Stake holders & ASPs

Subject: Clarification that selection of Annuity Service Provider (ASP) is the individual choice to be exercised by Subscribers upon exit from NPS and no Additional Charges or Intermediation Expenses are payable by subscribers under NPS, while opting for or purchasing annuity from any empanelled ASP.

1. This circular is issued in exercise of powers conferred under section 14 (1) and section 20(2) (h) and (i) of The Pension Fund Regulatory & Development Authority Act, 2013 and Regulation 3 of the PFRDA (*Exits and Withdrawals from National Pension system*) Regulations, 2015.
2. At the time of exit from NPS, an individual subscriber in terms of Section 20(2)(h) and Regulation of the PFRDA (*Exits and Withdrawals from National Pension system*) Regulations, 2015 (Exit Regulations) is mandatorily required to purchase an annuity that provides a monthly or periodical annuity (pension), as specified in the said regulations from an ASP empanelled with the Authority, In certain situation, limited exemption has been allowed by the Authority, from requirement of purchase of an annuity.
3. *Subscribers are empowered to choose ASP as per their Choice*:

   a. NPS Subscribers are entitled to exercise their individual choice when selecting an Annuity scheme and ASP, based on their individual requirements and specific needs.

   b. To ensure a seamless transition into the post-retirement phase, nodal officers under the Government sector, Point of Presence (POPs), and National Pension System Trust (NPST) are required to assist subscriber(s) in making informed decisions, based on their requirements, on the choice of the ASP and the Annuity Scheme as per their individual needs and providing necessary guidance throughout the process.

   c. By empowering subscribers to exercise their individual choice in selecting the Annuity scheme and ASP, the aim is to optimize the retirement planning experience, enhance overall satisfaction for NPS Subscriber(s) and be compliant of the law.

4. *Fees and Charges*: The fees and charges levied on subscribers by ASP in respect of provision of Annuity shall be in adherence to the Exit regulations. In this regard, There shall be no additional fees or charges on the subscriber(s) other than the premium approved by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) for the annuity product.

बी – १४/ए, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, कटवारिया सराय ,नई दिल्ली – ११० ०१६
दूरभाष: 011 - 26517501, 26133730, 26133730 फैक्स: 011 – 26517507, वेबसाइट :www.pfrda.org.in
B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi – 110 016
Phone : 011 - 26517501, 26133730 ,26133730 Fax: 011 – 26517507 website: www.pfrda.org.in

However, any taxes or other levies payable to the Government, or any charges by the regulator are excluded from this limitation. Additionally, there should be no additional intermediation expense or charge in respect of the annuity product issued to the subscribers and *hence ASP can deploy no agency or intermediary* for sourcing Annuity from NPS Subscribers. *The annuities under NPS are to be issued under direct channel.*

5. *Compliance by ASP*: The compliance officer of ASP shall be responsible for monitoring compliance with the duties and obligations as laid down under the Exit Regulations and circulars issued by the Authority, besides other applicable laws, governing annuity and shall give a compliance certificate to the Authority. ASP and the Compliance Officer shall also take steps to address the grievances reported to them by subscribers who have purchased annuities from the ASP, upon exit from the NPS.

ASPs to take notice of the stipulations aforementioned and ensure compliances as are required. These shall form part of and be included in the half-yearly supervisory compliance of ASPs effective from 1st Sep 2023.

Besides compliance by ASPs, the circular is also for the information of nodal officers under the Government sector, Point of Presence (POPs), and National Pension System Trust (NPST) who shall bring it to the notice of subscribers.

This circular is available at www.pfrda.org.in under the *Regulatory Framework* > *Circular* tab.

Digitally signed by K MOHAN GANDHI

Chief General Manager

Annexure

Subject: Compliance Certificate by ASP on Fees, Charges & Intermediation

We, [ASP Name], hereby certify that we are in full compliance with the regulations and guidelines set forth by the PFRDA regarding fees and charges levied on subscribers in relation to annuity products issued through the NPS.

As an Annuity Service Provider, we confirm the following compliance measures:

A. Premium (Purchase Price): We ensure that the fees and charges imposed on subscribers for annuity products strictly adhere to the premium rates approved by the IRDAI. There are no hidden or additional fees or charges imposed.

B. Exclusion of Government Taxes: Any tax imposed by the Government are excluded from the fee limitations. We do not charge any taxes to subscribers beyond the amounts determined by the Government.

C. No Additional Intermediation Expenses: We confirm that there are no additional intermediation expenses or charges levied on subscribers for the annuity products. We do not deploy any agency or intermediary for the purpose of sourcing annuities from NPS subscribers and annuity issued to NPS Subscribers under direct channel.

D. Compliance Officer Responsibilities: We diligently monitor and ensures compliance with all duties and responsibilities outlined in the PFRDA (Exits and Withdrawals from NPS) Regulations, 2015, besides addressing grievances reported by subscribers who have purchased annuities from us] upon exit from the NPS.

We are committed to upholding the highest standards of transparency, fairness, and regulatory compliance in our operations as an ASP and as specified under the provisions of exit regulations of PFRDA. The statements contained in this compliance certificate as true and correct to the best of my knowledge and nothing material has been omitted to be disclosed.

Name of Compliance officer & Signature

परिपत्र

परिपत्र संख्या : पीएफआरडीए/2023/14/एसयूपी- एएसपी /03 **जुलाई 27, 2023**

प्रति,

सभी एनपीएस हितधारक और एएसपी

विषय : एनपीएस से निकास के दौरान अभिदाताओं की व्यक्तिगत पसंद पर वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) के चुनाव और एनपीएस अभिदाताओं द्वारा किसी भी सूचीबद्ध एएसपी से वार्षिकी का चयन करते समय या खरीदते समय कोई अतिरिक्त प्रभार या मध्यस्थता खर्च देय न होने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण ।

1. यह परिपत्र पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 14 (1) और धारा 20 (2) (एच) और (आई) तथा पीएफआरडीए (*राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास और प्रत्याहरण*) विनियम, 2015 के विनियमन 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।
2. एनपीएस से निकास के समय, पीएफआरडीए (*राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास और प्रत्याहरण*) विनियम, 2015 (निकास विनियम) की धारा 20 (2) (एच) और विनियम के संदर्भ में किसी व्यक्तिगत अभिदाता द्वारा अनिवार्य रूप से एक वार्षिकी खरीदा जाना आवश्यक है जो प्राधिकरण के साथ सूचीबद्ध एएसपी से उक्त विनियमों में निर्दिष्ट मासिक या आवधिक वार्षिकी (पेंशन) प्रदान करता है। कुछ निश्चित स्थितियों में, प्राधिकरण द्वारा वार्षिकी की खरीद की आवश्यकता से सीमित छूट की अनुमति दी गई है।
3. <u>*अभिदाताओं को अपनी पसंद के अनुसार एएसपी चुनने का अधिकार है*</u>:

क. एनपीएस अभिदाता अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और विशेष जरूरतों के आधार पर वार्षिकी योजना और एएसपी को अपने व्यक्तिगत पसंद के आधार पर चुनने के हकदार हैं।

ख. सेवानिवृत्ति के पश्चात् निर्बाध परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए, सरकारी क्षेत्र के नोडल अधिकारियों, उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास (एनपीएसटी) द्वारा अभिदाताओं की व्यक्तिगत जरूरतों के आधार पर सूचित निर्णय लेने में और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर एएसपी और वार्षिकी योजना के चुनाव में सहायता करने तथा इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जरूरी मार्गदर्शन प्रदान करने की आवश्यकता है।

ग. वार्षिकी योजना और एएसपी के चुनाव में अपनी व्यक्तिगत पसंद का प्रयोग करने के लिए अभिदाताओं को सशक्त बनाने का मूल उद्देश्य सेवानिवृत्ति योजना के अनुभव को अनुकूलित करना, एनपीएस अभिदाता(ओं) की समग्र संतुष्टि में वृद्धि करना और कानून का अनुपालन करना है।

4. शुल्क और प्रभार : वार्षिकी के प्रावधान के संबंध में एएसपी द्वारा अभिदाताओं पर लगाए गए शुल्क प्रभार निकास विनियमों के अनुपालन में होंगे। इस संबंध में, वार्षिकी उत्पाद के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा अनुमोदित प्रीमियम के अलावा अभिदाता(ओं) पर कोई अतिरिक्त शुल्क या प्रभार नहीं लगाया जाएगा। हालांकि, सरकार को देय कोई अन्य कर या अन्य लेवी, या विनियामक द्वारा लगाए गए किसी अन्य शुल्क को इससे बाहर रखा गया है। इसके अतिरिक्त, अभिदाताओं को जारी किए गए वार्षिकी उत्पाद के संबंध में कोई अतिरिक्त मध्यस्थता व्यय या शुल्क नहीं होना चाहिए और इसलिए एनपीएस अभिदाताओं से वार्षिकी प्राप्त करने के लिए एएसपी द्वारा कोई एजेंसी या मध्यस्थ तैनात नहीं किया जा सकता है। एनपीएस के तहत वार्षिकी को सीधे चैनल के तहत जारी किया जाना है।

5. *एएसपी द्वारा अनुपालन*: एएसपी का अनुपालन अधिकारी, प्राधिकरण द्वारा जारी निकास विनियमों और परिपत्रों के तहत निर्धारित कर्तव्यों और दायित्वों के अनुपालन, अन्य लागू कानूनों और वार्षिकी नियंत्रण की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा, तथा प्राधिकरण को अनुपालन प्रमाण पत्र देगा। एएसपी और अनुपालन अधिकारी ऐसे अभिदाताओं, जो एनपीएस से निकासी पर एएसपी से वार्षिकी खरीदने वाले हों, उनके द्वारा सूचित की गई शिकायतों को दूर करने के लिए भी कदम उठाएंगे ।

एएसपी उपर्युक्त शर्तों का संज्ञान लें और आवश्यकतानुसार अनुपालन सुनिश्चित करें । ये दिनांक 1 सितंबर 2023 से प्रभावी एएसपी के अर्धवार्षिक पर्यवेक्षी अनुपालन का हिस्सा होंगे और इसमें शामिल होंगे।

एएसपी द्वारा अनुपालन के अलावा, यह परिपत्र सरकारी क्षेत्र के तहत नोडल अधिकारी, उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास (एनपीएसटी) के तहत नोडल अधिकारियों की जानकारी के लिए भी है, जो इसे अभिदाताओं के ध्यान में लाएंगे।

यह परिपत्र www.pfrda.org.in पर *विनियामक संरचना > परिपत्र* टैब के तहत उपलब्ध है।

Digitally signed by K MOHAN GANDHI
मुख्य महाप्रबंधक

बी – १४/ए, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, कटवारिया सराय ,नई दिल्ली – ११० ०१६
दूरभाष: 011 - 26517501, 26133730, 26133730 फैक्स: 011 – 26517507, वेबसाइट :www.pfrda.org.in
B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi – 110 016
Phone : 011 - 26517501, 26133730 ,26133730 Fax: 011 – 26517507 website: www.pfrda.org.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

<u>अनुलग्नक</u>

विषय : शुल्क, प्रभार और मध्यस्थता पर एएसपी द्वारा अनुपालन प्रमाण पत्र

हम, [एएसपी का नाम], इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि हम एनपीएस के माध्यम से जारी किए गए वार्षिकी उत्पादों के संबंध में अभिदाताओं पर लगाए गए शुल्क और प्रभार के संदर्भ में पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित नियमों और दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन कर रहे हैं।

एक वार्षिकी सेवा प्रदाता के रूप में, हम निम्नलिखित अनुपालन उपायों की पुष्टि करते हैं :

क. *प्रीमियम (खरीद मूल्य) :* हम यह सुनिश्चित करते हैं कि वार्षिकी उत्पादों के लिए अभिदाताओं पर लगाए गए शुल्क और प्रभार में आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित प्रीमियम दरों का सख्ती से पालन किया जाता है। कोई छिपा हुआ या अतिरिक्त शुल्क या प्रभार नहीं लगाया गया है।

ख. *सरकारी करों का बहिष्करण:* सरकार द्वारा लगाए गए किसी भी कर को शुल्क सीमाओं से बाहर रखा गया है। हम सरकार द्वारा निर्धारित राशि से अधिक अभिदाताओं से कोई कर नहीं लेते हैं ।

ग. *अतिरिक्त मध्यस्थता व्यय का अभाव :* हम पुष्टि करते हैं कि वार्षिकी उत्पादों के लिए अभिदाताओं पर कोई अतिरिक्त मध्यस्थता व्यय या शुल्क नहीं लगाया जाता है। हम एनपीएस अभिदाताओं से वार्षिकी प्राप्त करने हेतु किसी एजेंसी या मध्यस्थ की तैनाती नहीं करते हैं और एनपीएस अभिदाताओं को प्रत्यक्ष माध्यम के तहत वार्षिकी जारी की जाती है ।

घ. *अनुपालन अधिकारी की जिम्मेदारियां :* हम, पीएफआरडीए (एनपीएस से निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में उल्लिखित सभी कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की सावधानीपूर्वक निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा, एनपीएस से निकासी पर हमसे वार्षिकी खरीदने वाले अभिदाताओं द्वारा रिपोर्ट की गई शिकायतों को संज्ञान में लेते हैं ।

हम, एएसपी के रूप में और पीएफआरडीए के निकास नियमों के प्रावधानों के तहत निर्धारित हमारे संचालन में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विनियामक अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस अनुपालन प्रमाण पत्र में निहित कथन मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही हैं और किसी भी सामग्री को छुपाया नहीं गया है।

अनुपालन अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर